राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2186/2023

बजरंग लाल –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर ।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, जिला जयपुर ग्रामीण।
4. जिला कलेक्टर, जिला नीम का थाना।
5. कैलाश चन्द मीणा, नायब तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय रेलमगरा, जिला राजसमंद।
6. महेन्द्र कुमार, कार्य व्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार, सीकर जिला सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता,

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी का गृह जिला जयपुर शहर है तथा अपीलार्थी आदेश दिनांक 09.03.2022 से कार्य व्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर उप तहसील जालसू, तहसील आमेर में पदस्थापित किया गया था। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 23.03.2022 को कार्यग्रहण किया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने चुनाव विभाग के आदेश दिनांक 02.06.2023 के आदेशों की पालना में आदेश दिनांक 31.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्य व्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार, उप तहसील जालसू से तहसील अजीतगढ़, सीकर में पदस्थापन किया गया, परन्तु जालसू जयपुर में अन्य नायब तहसीलदार का पदस्थापन/कार्यग्रहण नहीं करने के कारण अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग ने जानबूझकर अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया तथा बिना कार्यमुक्ति के अपीलार्थी ने स्थानान्तरित स्थान तहसील अजीतगढ़, सीकर में कार्यग्रहण नहीं किया। प्रत्यर्थी सं. 2 ने नॉन–एप्लीकेशन माइंड से आलोच्य आदेश दिनांक 19.08.2023 के द्वारा अपीलार्थी स्थानान्तरणाधीन होने के बावजूद अपीलार्थी को कार्य व्यवस्थार्थ

नायब तहसीलदार, अजीतगढ़ सीकर में कार्यरत् मानते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण नायब तहसीलदार, सीकर जिला सीकर में स्थानान्तरण किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी को जयपुर में 3 वर्ष नहीं हुए हैं, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने चुनाव विभाग के निर्देशों की गलत रूप से व्याख्या करते हुए आदेश दिनांक 31.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण तहसील अजीतगढ़, जिला सीकर में पदस्थापन किया गया है।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी का स्थानांतरण भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं आम चुनाव 2023 के परिप्रेक्ष्य में राज्यहित एवं प्रशासनिक कारणों से दिया गया है। पूर्व में अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 31.07.2023 के द्वारा कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार अजीतगढ जिला सीकर में किया गया था। अपीलार्थी ने अजीतगढ जिला सीकर में कार्यग्रहण नहीं किया। उससे पूर्व ही अपीलार्थी का अन्य आदेश दिनांक 19.08.2023 के द्वारा कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार सीकर जिले में पदस्थापित करने के आदेश पारित किये गये हैं, जो प्रशासनिक दृष्टि से किया गया है। क्योंकि आलौच्य आदेश विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासनिक कारणों से किया गया है। ऐसे में हम आलौच्य आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं।

4. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)	(अनन्त भंडारी)
सदस्य	सदस्य(न्यायिक)